NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Pioneer, Bhubaneshwar, 17/06/2026

Page No: 2, Size: 17.62cm × 11.03cm

NHRC seeks report on 'assault' by K'pada sarpanch

- Asks DM, SP to submit ATR within 15 days
- Chameli gets bail from court

PNS ■ Bhubaneswar

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed report from the District Magistrate and Superintendent of Police of Kendrapada over allegations of human rights violations involving Chameli Ojha, Sarpanch of Tikhiri gram panchayat.

The commission has directed the district administration and police authorities to submit an Action Taken Report (ATR) within 15 days.

The directive was issued following a complaint filed by the Human Rights Front India (HRF) Chairperson Manoj Jena. The complaint alleged that the sarpanch physically assaulted and verbally abused a local resident causing physical and mental distress and amounting to a violation of human rights.

In an official communication on Tuesday, the NHRC instructed the Kendrapara administration to conduct a thorough inquiry into the allegations and furnish its findings along with relevant documents, records and witness statements.

The commission stressed the need for accountability and transparency while examining the matter and directed authorities to take appropriate action based on the outcome of the investigation. The NHRC also asked officials to ensure timely submission of the report through both postal and electronic modes.

Meanwhile, the Kendrapada SDJM Court granted interim Bail to Chameli on Tuesday.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Political & Business Daily, Bhubaneshwar, 17/06/2026

Page No: 3, Size: 31.91cm × 26.88cm

NHRC seeks report from State govt on social boycott that delayed woman's last rites

PBD BUREAU/PTI

BHUBANESWAR, JUN 16

THE National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Odisha government, seeking a detailed report within two weeks on the alleged ostracisation of a family in Sundargarh district that resulted in an elderly woman's last rites being delayed due to lack of community support.

The rights panel took suo motu cognisance of media reports that the woman, a resident of Mahuldiha village, had endured social boycott for 12 years and that villagers refused to assist her daughter in performing her last rites after her death.

According to a statement issued by the NHRC on Monday, the woman's last rites were eventually conducted only after intervention by the district administration and support from local NGOs.

Observing that the allegations, if true, raise serious concerns of human rights violations, the commission sought a detailed report from the chief secretary within two weeks.

The NHRC referred to media reports published on June 11, which alleged that the woman's family had been socially ostracised after they failed to pay a penalty imposed by villagers when her daughter had briefly left home with a man belonging to another caste.

The commission expressed concern that the family allegedly continued to face social boycott for over a decade and that the ostracisation persisted even after the woman's death, affecting the conduct of her final rites.

The NHRC said it would examine the matter further after receiving the report from the Odisha government.

Prabhat Khabar, Gaya, 17/06/2026
Page No: 6, Size: 11.91cm × 5.71cm

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने आयोग को भेजा पत्र

गया जी. पटना के ज्ञान बिंदू कोचिंग सेंटर के निदेशक रोशन आनंद को न्याय दिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने पहल की है. इस संदर्भ में 10 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नयी दिल्ली को पत्र भेजा है. इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नयी दिल्ली ने एसएसपी पटना को इस मामले की जांच करके दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है.

प्रभात खबर
Wednesday, June 17, 2026
Gaya-City
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/6a3197b2ad5176d59077b6e6

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindustan, Patna, 17/06/2026

Page No: 5, Size: 8.39cm × 12.22cm

रौशन की गिरफ्तारी पर एसएसपी से रिपोर्ट मांगी

मानवाधिकार आयोग

- मानवाधिकार कार्यकर्ता ने झूठे मुकदमे में फंसाने की शिकायत की थी
- आयोग ने संज्ञान लिया नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी

पटना। ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के खिलाफ प्राथमिकी और उन्हें गिरफ्तार किये जाने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर की शिकायत पर आयोग ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

जारी नोटिस में कहा गया कि प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। विशाल रंजन दफ्तुआर ने दस जून को आयोग को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि रौशन को दूसरे कोचिंग संस्थान के संचालक के कहने पर पुलिस ने मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया। एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया। दो जून को कदमकुआं थाने में केस दर्ज किया गया। आरोप है कि उचित जांच और सीधे सबूतों के अभाव के बावजूद, पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप सहित कई दंडात्मक धाराएं लगाईं और केस दर्ज होने के कुछ ही घंटों के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत में कहा गया कि रौशन डनी की बीमारी से पीड़ित है और पुलिस की कार्रवाई मनमानी, जरूरत से ज्यादा और उसके मानवाधिकारों व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली थी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Jagran, Bhubaneshwar, 17/06/2026
Page No: 1, Size: 30.48cm × 28.68cm

12 साल से सामाजिक बहिष्कार पर एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में ग्रामीणों के सहयोग नहीं करने का मामला

- मुख्य सचिव को नोटिस, दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब
- पीड़ित के परिवार को वर्षों तक सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी

जासं, राउरकेला : सुंदरगढ़ जिले के महालडीहा गांव में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद सामने आई सामाजिक बहिष्कार की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के संभावित गंभीर उल्लंघन का मामला मानते हुए ओडिशा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मामला उस बुजुर्ग महिला से जुड़ा है, जिसका परिवार पिछले 12 वर्षों से कथित रूप से सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार महिला की मृत्यु के बाद भी ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं किया। बाद में प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया।

बताया जाता है कि करीब 12 वर्ष पहले महिला की बेटी दूसरे जाति के एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने परिवार पर जुर्माना लगाया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार जुर्माना नहीं चुका सका, जिसके बाद उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।

आरोप है कि परिवार को वर्षों तक सामाजिक प्रताड़ना और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में वर्णित तथ्य सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसी आधार पर आयोग ने राज्य सरकार से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी मांगी है।

आयोग के हस्तक्षेप के बाद जिले में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि कथित सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति इतने लंबे समय तक कैसे बनी रही और इस दौरान प्रशासन की भूमिका क्या रही। अब सभी की नजरें राज्य सरकार की रिपोर्ट और आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Bhaskar, Patna, 17/06/2026

Page No: 3, Size: 5.98cm × 8.65cm

रौशन आनंद की गिरफ्तारी पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

पटना | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रोशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रथमदृष्टया मामले को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए पटना एसएसपी को नोटिस जारी किया है। एसएसपी को दो सप्ताह के भीतर इस मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपने का आदेश दिया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन विशाल रंजन दफ्तुआर ने 10 जून को इस संबंध में आयोग को शिकायत भेजी थी। पत्र में आरोप लगाया गया था कि 2 जून को कदमकुआं थाने में खान ग्लोबल स्टडीज पर हमले को लेकर दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने बिना उचित जांच और साक्ष्यों के रौशन आनंद को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया। वह किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और पुलिस की यह एकपक्षीय कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसी आधार पर आयोग ने कदम उठाया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Jagran, Meerut, 17/06/2026
Page No: 8, Size: 30.48cm × 24.53cm

बंधुआ मजदूरी की शिकायतों की जांच में लापरवाही

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नाराज भेजी सूची, मेरठ, शामली, शामली, बुलंदशहर व बागपत में 14 मामले
- डीएम को एसआइटी गठित कर प्रकरणों की नए सिरे से जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश

जागरण संवाददाता, मेरठ : बंधुआ मजदूरी की शिकायतों की जिला स्तर पर की जा रही जांच और कार्रवाई से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नाखुश है। आयोग ने 18 प्रकरणों की सूची भेजी है। इनमें मेरठ के तीन, बागपत के सात, सहारनपुर के दो तथा शामली और बुलंदशहर के एक-एक मामले हैं। इन सभी में डीएम को एसआइटी गठित कर नए सिरे से जांच कराने, प्रकरण के दस्तावेज कब्जे में लेने, दोषी भट्ठा मालिकों पर कार्रवाई करने, पीड़ित श्रमिकों को राहत और पुनर्वास देने तथा श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा योजनाओं का लाभ दिलाने का आदेश दिया गया है। मेरठ में डीएम ने एसआइटी गठित कर एडीएम सिटी, एसपी सिटी तथा उप श्रम आयुक्त को इनकी नए सिरे से जांच का जिम्मा सौंपा है।

ईंट भट्ठों पर श्रमिकों को बंधक बनाकर जबरन काम कराने की शिकायतें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पहुंचती हैं। पिछले कुछ समय में प्रदेश के विभिन्न जनपदों तथा अन्य प्रदेशों में की गई जांच में जिला प्रशासन द्वारा लापरवाही करने का आरोप आयोग ने लगाया है।

आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के कुल 18 मामलों की सूची भेजी है। शासन के गृह अनुभाग के अपर मुख्य सचिव श्रम और संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया है।

> आयोग के आदेश के मुताबिक मंडल के जनपदों में बंधुआ मजदूरी के प्रकरणों की नए सिरे से जांच करा दोषियों पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। सभी जनपदों में इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
>
> **भानु चंद्र गोस्वामी, मंडलायुक्त**

मेरठ में 16 की जांच पूरी, चार में सही मिले आरोप : उप श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि मेरठ जनपद में बंधुआ मजदूरी की शिकायतों के कुल 19 मामले थे। 16 की जांच पूरी करके रिपोर्ट आयोग को भेज दी है। इनमें चार मामलों में बंधुआ मजदूरी के आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई है। तीन शेष मामलों की नए सिरे से निष्पक्ष जांच करा रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी।

Source: https://coinedition.com/indias-nhrc-raises-alarm-over-digital-arrest-scams/

India’s NHRC Raises Alarm Over Digital Arrest Scams
By Coin Edition Published: about 18 hours ago
Last Updated: June 16, 2026

Indians lost ₹52,976 crore to cyber fraud in six years, with 8% linked to digital arrest scams.
NHRC recommends recognizing digital arrest as a distinct criminal offense with a clear legal definition.
Commission calls for a golden hour transaction freeze and a dedicated compensation fund for victims.

India’s National Human Rights Commission (NHRC) has expressed serious concern over the rapid rise of digital arrest scams, warning that cyber-enabled frauds are destroying the financial security and fundamental rights of ordinary citizens at an alarming rate.

During an open-house discussion on safeguarding human rights against these scams, the NHRC revealed that Indians have lost an estimated ₹52,976 crore to cyber-enabled frauds over the past six years, with nearly 8% of those losses directly linked to digital arrest schemes.

What a Digital Arrest Scam Is
The scam works by exploiting trust in government institutions and fear of law enforcement. Fraudsters impersonate police officers, CBI agents, ED officials, TRAI representatives, and judges, then falsely tell victims they are implicated in money laundering, identity theft, or financial crimes.

Through phone calls and WhatsApp video calls, sometimes using AI-generated deepfakes of real judicial figures, they keep victims on continuous calls to prevent them from seeking advice, create panic through explicit arrest threats, and pressure them into transferring money or revealing sensitive information.

The National Cybercrime Reporting Portal received more than 30,000 digital arrest complaints in 2025 alone, averaging nearly 90 complaints every day. The Supreme Court estimated nationwide losses at nearly ₹3,000 crore in the same year. A 93-year-old retired railway engineer in Karnataka lost over ₹60 lakh in life savings through WhatsApp video calls.

What the NHRC Is Recommending
The Commission called for a series of reforms targeting both the legal framework and the victim protection system:

Recognizing digital arrest scams as a distinct criminal offense with a clear legal definition
Criminalizing mule accounts and other infrastructure that enables cyber fraud
Strengthening oversight of messaging platforms used by scam networks
Creating a dedicated compensation fund for cyber fraud victims
Building faster transaction freeze mechanisms during the critical golden hour after a scam is reported
Establishing a single government verification portal, allowing citizens to confirm the authenticity of law enforcement notices and official communications

India’s I4C coordination centre, the 1930 helpline, and anti-spoofing controls on international calls have already saved over ₹4,386 crore across more than 13 lakh complaints. The NHRC’s intervention signals that institutional momentum needs to accelerate further before digital arrest fraud moves from a devastating national problem to an uncontrollable one.

Source: https://ommcomnews.com/odisha-news/nhrc-seeks-report-from-kendrapara-collector-sp-on-tikhiri-sarpanch-case/

NHRC Seeks Report From Kendrapara Collector, SP On Tikhiri Sarpanch Case
by OMMCOM NEWS June 16, 2026 in Breaking News, Odisha

Bhubaneswar: The National Human Rights Commission on Tuesday took cognisance of the case involving Tikhiri sarpanch Chameli Ojha and sought a detailed report from local authorities.

The Commission has issued notices to the Kendrapara district administration, directing both the District Collector and the Superintendent of Police to conduct a thorough inquiry and submit reports on the incident.

The NHRC stressed the need for a fair and comprehensive investigation into the allegations and circumstances of the case. As per the directions, district authorities have been asked to complete the inquiry and submit a detailed report within 15 days. The Commission has also sought an Action Taken Report, asking officials to furnish details of steps taken in response to the matter within two weeks.

The NHRC's intervention has brought fresh attention to the case and is expected to speed up the investigation. The move signals the Commission's concern over the issues raised in the complaint and its intent to ensure accountability through an independent review of the facts.

Odisha Bytes, Online News, 17/06/2026

Source: https://odishabytes.com/nhrc-seeks-report-on-odisha-woman-sarpanch-chameli-ojha-case/

NHRC Seeks Report On Odisha Woman Sarpanch Chameli Ojha Case
by OB Bureau June 16, 2026 in Kendrapada, Odisha

Bhubaneswar: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed report regarding the recent incident involving Chameli Ojha, Sarpanch of Tikhiri Gram Panchayat in Odisha's Kendrapada district.

The Commission has directed the Collector & District Magistrate and Superintendent of Police of Kenddrapada to submit reports about the incident.

Sources said the NHRC has asked both officials to conduct a proper investigation and submit an Action Taken Report (ATR) within 15 days.

The notice was issued after the Commission received a complaint alleging that Sarpanch Chameli Ojha was assaulted and verbally abused.

In a communication, the NHRC instructed the Kendrapada administration to conduct a thorough investigation and submit findings supported by relevant documents and witness statements. The Commission emphasised accountability and transparency in handling the matter.

Deputy Registrar (Law) Suprava Sahoo signed the letter, which was addressed to both the District Magistrate and the Superintendent of Police.

Orissa Post, Online News, 17/06/2026

Source: https://www.orissapost.com/nhrc-seeks-report-from-odisha-govt-on-social-boycott-that-delayed-womans-last-rites/

NHRC seeks report from Odisha govt on social boycott that delayed woman's last rites
PTI Updated: June 16th, 2026, 10:27 IST

Sundargarh: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Odisha government, seeking a detailed report within two weeks on the alleged ostracisation of a family in Sundargarh district that resulted in an elderly woman's last rites being delayed due to lack of community support.

The rights panel took suo motu cognisance of media reports that the woman, a resident of Mahuldiha village, had endured social boycott for 12 years and that villagers refused to assist her daughter in performing her last rites after her death.

According to a statement issued by the NHRC Monday, the woman's last rites were eventually conducted only after intervention by the district administration and support from local NGOs.

Observing that the allegations, if true, raise serious concerns of human rights violations, the commission sought a detailed report from the chief secretary within two weeks.

The NHRC referred to media reports published June 11, which alleged that the woman's family had been socially ostracised after they failed to pay a penalty imposed by villagers when her daughter had briefly left home with a man belonging to another caste.

The commission expressed concern that the family allegedly continued to face social boycott for over a decade and that the ostracisation persisted even after the woman's death, affecting the conduct of her final rites.

The NHRC said it would examine the matter further after receiving the report from the Odisha government.

Source: https://theobserverpost.com/nhrc-takes-cognisance-of-alleged-attacks-on-kashmiri-students-and-shawl-sellers-across-india/

NHRC Takes Cognisance of Alleged Attacks on Kashmiri Students and Shawl Sellers Across India
By The Observer Post
Published On: June 16, 2026 10:09 AM

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of allegations of harassment, discrimination and attacks against Kashmiri shawl sellers and students in several parts of India, according to the Jammu and Kashmir Students Association (JKSA).

The association said the human rights body has registered a formal case after receiving a complaint highlighting multiple incidents of alleged intimidation, communal profiling and physical assaults in states including Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Delhi, Maharashtra and Uttar Pradesh.

The complaint was submitted earlier this year by JKSA national convenor Nasir Khuehami.

"Forced to leave, threatened and assaulted": JKSA
According to JKSA, the complaint documents serious allegations where Kashmiri shawl sellers were "assaulted, threatened, humiliated and prevented from carrying out their trade."

The association also said that in some cases, traders were allegedly "forced to leave areas where they had been living and working peacefully for decades."

JKSA added that Kashmiri students in different states also reported "denial of accommodation, communal profiling, intimidation and physical threats."

The organisation said, "Despite repeated representations to state administrations and law enforcement agencies, many affected individuals continued to live under fear and uncertainty."

NHRC registers case and begins process
The JKSA said the NHRC has formally registered the matter as Case No. 684/90/0/2026 after initially acknowledging the complaint and assigning it a diary number earlier.

The Commission is expected to issue notices to concerned state governments and seek detailed reports from police and administrative authorities.

These reports are likely to include details on FIRs registered, arrests made, action taken against accused persons, preventive steps taken by authorities, and measures to ensure safety of Kashmiri students and traders.

"Equal citizens, entitled to protection": JKSA
The association welcomed the NHRC's action and said it hopes the matter will be examined thoroughly.

A JKSA spokesperson said, "We urge the Commission to ensure accountability where there have been lapses in

protecting vulnerable individuals."

The association also stressed that Kashmiris are "equal citizens of India" and deserve full constitutional protection.

It said, "Violence, discrimination, intimidation or social exclusion against any citizen on the basis of identity, region, religion or attire has no place in a democratic society governed by the rule of law."

Background of alleged incidents

JKSA said the complaint is based on multiple reports received over months, where Kashmiri shawl sellers and students allegedly faced repeated targeting in different states.

The organisation claimed that in some cases, people were compelled to discontinue their businesses and return to Jammu and Kashmir due to fear and insecurity.

It further said the NHRC's intervention is an important step toward addressing concerns of safety, dignity and livelihood for Kashmiri citizens living outside the Union Territory.

Source: https://www.vsktelangana.org/Encyc/2026/6/16/telangana-lrpf-seeks-nhrc-probe-agape-hiv-orphans-privacy-child-safety-and-regulatory-concerns.html

Telangana: LRPF Seeks NHRC Probe into Agape Over HIV Orphans' Privacy, Child Safety and Regulatory Concerns
VSK Telangana Created: 16 June, 2026 Last Updated: 16 June, 2026

Hyderabad, June 15: The Legal Rights Protection Forum (LRPF) has approached the National Human Rights Commission (NHRC) seeking an inquiry into the functioning of Hyderabad-based Agape orphanage and its US donor organisation, Agape International Inc., alleging serious violations of child rights, privacy safeguards, and regulatory norms involving HIV-affected orphan children.

In a detailed complaint submitted to the Commission on June 15, LRPF alleged that Agape International Inc., a US-registered charity operating under the name "Agape AIDS Orphan Care", has been publicly displaying photographs, identities and personal stories of HIV-affected Indian orphan children on its fundraising platforms and official website.

According to the complaint, the disclosures are available on the organisation's website, fundraising portals and YouTube channels and allegedly reveal sensitive information relating to vulnerable children. LRPF argued that such disclosures violate the children's right to dignity, privacy, confidentiality and protection from stigma under Indian law.

The complaint identifies Agape International Inc., based in Medfield, Massachusetts, USA, as the foreign donor organisation and Hyderabad-based Agape Society (Registration No. 759/2003) as the Indian recipient organisation.

Same Individual Linked to US Donor and Indian Recipient

The Hyderabad-based legal rights advocacy group, LRPF, further pointed to publicly available Form-990 filings submitted to the United States Internal Revenue Service (IRS) for the 2025 tax year, which list Ms. Lynne Marie Voggu as Executive Director of Agape International Inc.

The complaint states that NGO Darpan records also show Ms. Lynne Marie Voggu serving as an Executive Member of the Hyderabad-based Agape Society, while holding OCI (Overseas Citizen of India) status, thereby creating a direct link between the foreign donor organisation and the Indian recipient institution.

Complaint Revives 2017 Controversy

The petition also recalls a major controversy involving the orphanage in April 2017. Citing a media report dated April 22, 2017, LRPF stated that HIV-affected orphan children housed at the institution were allegedly made to clean underground septic drainage systems, triggering public outrage and raising concerns about exploitation and child welfare violations.

The complaint further cites another media house report dated April 29, 2017, which stated that Agape did not

possess the required licence under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act at the time the incident allegedly occurred.

According to LRPF, despite these controversies, the institution subsequently obtained permissions and recognition under the Juvenile Justice framework.

Questions Raised Over Child Safety and Oversight

The complaint also draws attention to criminal proceedings reportedly involving Ms. Lynne Marie Voggu.

LRPF stated that she is allegedly an accused in Sessions Case filed in 2023 pending before the Fast Track Special Court dealing with rape and POCSO cases at Malkajgiri. The petition further refers to Criminal Petition filed before the Telangana High Court in 2025 seeking relief in connection with those proceedings.

LRPF argued that the existence of such proceedings raises serious concerns regarding child safety, institutional safeguarding mechanisms and regulatory oversight, particularly given the involvement of individuals associated with organisations working with vulnerable children.

FCRA Cancellation and Regulatory Questions

The LRPF further alleged that Agape's Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) registration was cancelled by the Ministry of Home Affairs following violations. According to the complaint, the cancellation raises questions about how permissions and recognition continued to be granted under the Juvenile Justice framework despite earlier controversies and compliance concerns.

LRPF has questioned whether adequate due diligence, background verification, child safety assessments and ongoing monitoring were conducted by the relevant departments before granting or renewing approvals.

NHRC Intervention Sought

In its petition, LRPF has requested the NHRC to initiate an independent inquiry into Agape orphanage and Agape International Inc., examine the role of Telangana government departments responsible for granting approvals, and investigate possible violations of child rights, privacy protections and HIV confidentiality safeguards.

The forum has also sought directions for the removal of photographs, identities and HIV-related details of orphan children from fundraising platforms and websites.

Additionally, it has requested a child safety audit of the institution, examination of alleged misuse of foreign contributions, and scrutiny of the continued involvement of individuals associated with the management of the organisation.

The complaint contends that the matter involves highly vulnerable orphan children and requires urgent intervention to protect their dignity, privacy, confidentiality and welfare.

Written By Surender Kumar
(Courtesy: Organiser)

Source: https://orissadiary.com/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-death-of-a-girl-after-being-attacked-by-stray-dogs-in-the-rupnagar-district-punjab/

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of a girl after being attacked by stray dogs in the Rupnagar district, Punjab
By: Odisha Diary Bureau Date: June 16, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that on 10th June 2026, an eight-year-old girl was mauled to death by a pack of stray dogs in the Rupnagar district, Punjab. Reportedly, the victim was playing outside her house when the stray dogs attacked her.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise issues of violation of human rights. Therefore, it has issued a notice to the Punjab Chief Secretary, calling for a detailed report on the matter within two weeks. It is expected to include action taken by the authorities.

According to the media report, carried on 11th June 2026, the local residents rescued the victim and rushed her to the PGIMER in Chandigarh, but she succumbed to the injuries on the way. Reportedly, the victim belonged to an economically vulnerable family. Her father passed away about four years ago and her mother works as a domestic hel.

Moneylife, Online News, 17/06/2026

Source: https://www.moneylife.in/article/nhrc-steps-in-after-8yearold-girl-dies-following-stray-dog-attack-in-punjab/80781.html

NHRC Steps in After 8-year-old Girl Dies Following Stray Dog Attack in Punjab
Moneylife Digital Team 16 June 2026

The national human rights commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the reported death of an eight-year-old girl who was allegedly mauled by a pack of stray dogs in Punjab's Rupnagar district and has sought a detailed report from the state government.

The Commission has issued a notice to the Punjab chief secretary, directing the state authorities to submit a detailed report within two weeks. The report is expected to include the action taken in connection with the incident.

According to NHRC, the action was initiated on the basis of media reports stating that the girl was attacked by stray dogs on 10 June 2026 while she was playing outside her house in Rupnagar district.

The Commission observed that if the contents of the media reports are found to be true, the incident would raise serious concerns about a violation of human rights.

"Therefore, it has issued a notice to the Punjab chief secretary, calling for a detailed report on the matter within two weeks," NHRC said in a statement.

The Commission said it would examine the report after receiving it from the state government.

According to the media reports cited by NHRC, local residents rushed to rescue the child after the attack and took her for medical treatment.

She was reportedly being taken to the Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh, but succumbed to her injuries on the way to the hospital.

The incident has triggered concern among local residents over the growing stray dog menace and public safety in the area.

NHRC noted reports that the victim belonged to an economically vulnerable family.

According to information referred to by the Commission, the girl's father died about four years ago and her mother works as a domestic helper to support the family.

The Commission's intervention comes amid ongoing concerns across several parts of the country about attacks by stray dogs, particularly involving children and the elderly.

Further action will depend on the findings submitted by the Punjab government in response to the NHRC notice.

Source: https://www.prameyanews.com/nhrc-seeks-report-on-tikhiri-sarpanch-chameli-ojhas-ordeal

NHRC seeks report on Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha's ordeal

The National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday sought detailed reports in the case involving Chameli Ojha, Sarpanch of Tikhiri GP in Odisha's Kendrapara district.
Published By : Prashant Dash | June 16, 2026 7:45 PM

Delhi, June 16: The National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday sought detailed reports in the case involving Chameli Ojha, Sarpanch of Tikhiri GP in Odisha's Kendrapara district.

The NHRC has asked the Kendrapara DM & Collector and Superintendent of Police (SP) to submit reports in connection with the incidents.

It has directed the authorities to conduct a proper investigation into the incident and submit detailed reports within 15 days.

The Commission has also ordered the submission of an Action Taken Report (ATR) within two weeks.

Source: https://pragativadi.com/nhrc-seeks-report-from-kendrapara-officials-in-chameli-ojha-case/

NHRC Seeks Report from Kendrapara Officials in Chameli Ojha Case
by Itishree Sethy June 16, 2026 in Odisha

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed report from the District Magistrate and Superintendent of Police, Kendrapara, regarding the alleged human rights violation involving Chameli Ojha, Sarpanch of Tikhiri Gram Panchayat.

The Commission directed both officials to submit an Action Taken Report (ATR) within 15 days.

The directive followed a complaint filed by Manoj Jena, Chairperson of Human Rights Front India (HRF), Bhubaneswar. The complaint alleged that Sarpanch Chameli Ojha assaulted and verbally abused a local resident, violating human rights and causing physical and mental distress.

The NHRC, in its official communication dated June 16, 2026, instructed the Kendrapara administration to conduct a thorough investigation and submit findings supported by relevant documents and witness statements. The Commission emphasised accountability and transparency in handling the matter.

Deputy Registrar (Law) Suprava Sahoo signed the letter, which was addressed to both the District Magistrate and the Superintendent of Police. The Commission also asked for the report to be sent by post and email to ensure timely compliance.

NDTV India, Online News, 17/06/2026

Source: https://ndtv.in/bihar-news/roshan-anand-wrongfully-implicated-notice-issued-patna-ssp-human-rights-commission-report-11647278

रोशन आनंद को गलत तरीके से फंसाया, पटना SSP को नोटिस; मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

पटना में खान सर से विवाद में रोशन आनंद की गिरफ्तारी का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया. पटना एसएसपी को दो सप्ताह में जवाब देना है.
Reported by: सोमू आनंद Edited by: उपेंद्र सिंह बिहार जून 17, 2026 09:37 am IST

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना SSP को नोटिस जारी किया है. मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने 10 जून को आयोग को पत्र लिखकर पटना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था. इस पत्र के आधार पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की खंडपीठ ने संज्ञान लिया है. आयोग ने पटना SSP को इस मामले की जांच करके दो सप्ताह के भीतर आयोग के पास जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.

मानवाधिकार आयोग को लिखा था लेटर
ह्युमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन- एचआरयूएफ के चेयरमैन विशाल रंजन दफ्तुआर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजे गये पत्र में लिखा कि रोशन आनंद को फैजल खान (खान सर) की शह पर पटना पुलिस ने आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया. कदम कुंआ थाना पुलिस ने उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया. रोशन आनंद किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं. पुलिस की कारवाई एकपक्षीय, मनमाना और उग्रतापूर्ण है. यह पुलिस की निष्पक्षता पर एक प्रश्न चिन्ह है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

रोशन आनंद ने गिरफ्तारी के पीछे साजिश बताया
रोशन आनंद ने भी अपनी गिरफ्तारी के पीछे साजिश का आरोप लगाया था. जेल से निकलने के के बाद रोशन आनंद ने कहा था कि सिपाही भर्ती में सबसे अधिक रिजल्ट ज्ञान बिंदु से हुआ है. खान ने फिजिकल ट्रेनर्स को मैनेज किया. मैनेज कर के बच्चे इकट्ठा किए. फिर भी हमारे पास ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मुझे साजिश के तहत फंसाया गया. मेरे भाई की हत्या कराई गई.

खान सर की कोचिंग पर हुआ था हमला
पटना में खान सर की कोचिंग पर 2 जून को हमला हुआ था. खान सर ने हमला करवाने का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आंनद और उनके भाई प्रिंस यादव पर लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने 3 जून को रोशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद ने पटना पुलिस और खान सर पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया था.

Deshaj Times, Online News, 17/06/2026

Source: https://deshajtimes.com/news/bihar/patna/nhrc-issues-notice-patna-ssp-roshan-anand-arrest-human-rights-violatio/286419/

‘दो हफ़्तों के अंदर…’ रौशन आनंद की गिरफ्तारी पर बड़ा एक्शन! पटना SSP को आया नोटिस

Khan Sir Case: ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की गिरफ्तारी में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
जून 17, 2026 By Deshaj Times

Khan Sir Case: बिहार की राजधानी पटना में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप पर कार्रवाई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को रौशन आनंद की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आयोग ने यह कदम गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए उठाया है।

आयोग का मानना है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्ट्या पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं, जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह नोटिस जारी किया गया है।

Khan Sir Case: मानवाधिकार कार्यकर्ता की शिकायत पर संज्ञान
यह कार्रवाई ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन और मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर द्वारा 10 जून को भेजे गए एक पत्र के आधार पर की गई है। दफ्तुआर ने अपने पत्र में रौशन आनंद की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाते हुए मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया था।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस सख्त रुख के बाद पटना पुलिस पर दबाव बढ़ गया है। एसएसपी को अब निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोग को संतोषजनक रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिससे इस मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो सके।

Source: https://zeenews.india.com/hindi/india/bihar-jharkhand/muzaffarpur/muzaffarpur-police-custody-torture-at-panapur-kariyat-police-station-fir-on-sho-rajballabh-prasad-nhrc-action/3247457/amp

Muzaffarpur News: हाजत में बंद कर युवक की बेरहमी से पिटाई करना थानेदार को पड़ा भारी, मानवाधिकार आयोग ने FIR का दिया आदेश

मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाने में 11 मार्च 2025 को एक युवक अमन कुमार को अवैध हिरासत में रखने और उसे छुड़ाने आए उसके बहनोई रौशन प्रताप सिंह के हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है.
Written By Manitosh kumar Edited By: Saurabh Jha
Published: Jun 16, 2026, 03:38 PM IST | Updated: Jun 16, 2026, 03:38 PM IST

मुजफ्फरपुर जिले से पुलिसिया बर्बरता और उस पर मानवाधिकार आयोग के कड़े एक्शन की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात थाने की पुलिस द्वारा एक युवक को लॉक-अप में बंद कर बेरहमी से पीटना तत्कालीन थानेदार को बेहद महंगा पड़ गया है. इस पूरे मामले में मानवाधिकार आयोग ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ अगले 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का सख्त आदेश दिया है. इसके साथ ही आयोग ने इस गंभीर मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है.

यह पूरा मामला 11 मार्च 2025 की सुबह का है. सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा रूपनाथ के रहने वाले अमन कुमार नामक युवक को सुबह करीब 3 बजे पानापुर करियात थाने में तैनात तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद ने अपने वर्दी का रौब दिखाते हुए गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया था. जब इस बात की जानकारी अमन कुमार के बहनोई रौशन प्रताप सिंह को मिली, तो वे अपने साले से मिलने तुरंत थाने पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि पुलिस ने अमन कुमार को थाना के हाजत में बंद कर रखा था. इसके बाद थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद ने अमन कुमार को छोड़ने के एवज में उसके जीजा रौशन प्रताप सिंह से एक लाख रुपये की मोटी रकम की मांग की.

जब रौशन प्रताप सिंह ने इस अवैध उगाही और घूसखोरी का कड़ा विरोध किया, तो थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद बुरी तरह आवेश में आ गए. उन्होंने कानून को ताक पर रखकर रौशन प्रताप सिंह को भी हाजत के अंदर बंद कर दिया. इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने रौशन प्रताप सिंह का मुंह, हाथ और पैर रस्सी से बांध दिया और उनके साथ काफी बेरहमी से मारपीट की. जब परिवार के अन्य सदस्य परेशान होकर थाने पहुंचे और दोनों को छोड़ने का गुहार लगाने लगे, तो थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद एक लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे. आखिरकार, 70 हजार रुपये ऐंठने के बाद ही पुलिस ने दोनों को थाने से छोड़ा.

भ्रष्ट थानाध्यक्ष की प्रताड़ना यहीं खत्म नहीं हुई. पुलिस ने रौशन प्रताप सिंह की अपाचे मोटरसाइकिल को भी अपने कब्जे में ले लिया था और उसे लौटाने के बदले 30 हजार रुपये की घूस अलग से मांगी जा रही थी. लेकिन इस पूरी घटना के दौरान थानेदार ने दोनों के साथ इतनी बुरी तरह मारपीट की थी कि रौशन प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांटी ले जाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें एसकेएमसीएच (SKMCH) रेफर कर दिया.

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (BHRC) का दरवाजा खटखटाया. आयोग ने इसे मानवाधिकार का घोर उल्लंघन मानते हुए बिहार के मुख्य सचिव से पूछा है कि पीड़ित को क्यों नहीं एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. साथ ही थानाध्यक्ष के विरुद्ध अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, इस पर आयोग ने सख्त नाराजगी जताई. आयोग के इस हंटर के बाद वर्तमान पानापुर करियात पुलिस में खलबली मच गई.

रविवार को आनन-फानन में वर्तमान थानाध्यक्ष ने रौशन प्रताप सिंह की मां वीणा सिंह के नाम एक नोटिस जारी किया और 24 घंटे के अंदर थाने आकर आवेदन देने को कहा. रविवार की शाम को ही वीणा सिंह ने पानापुर करियात थाने में आरोपी राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित

आवेदन दे दिया है. मानवाधिकार मामलों के जानकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि यह मामला सरकार की व्यवस्था की पोल खोल रहा है, क्योंकि एक एफआईआर के लिए पीड़ित परिवार को पटना से दिल्ली तक दौड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आयोग से न्याय जरूर मिलेगा.

Punjab Kesari, Online News, 17/06/2026

Source: https://www.punjabkesari.com/uttar-pradesh/uttar-pradesh-news-38/

Home - Uttar Pradesh - “खूनी सड़कों” पर भड़का जनाक्रोश, डॉ. पांडे ने CM योगी और नितिन गडकरी से मांगा तत्काल हस्तक्षेप

खूनी सड़कों” पर भड़का जनाक्रोश, डॉ. पांडे ने CM योगी और नितिन गडकरी से मांगा तत्काल हस्तक्षेप
Amit Kumar June 16, 2026 4:16 PM

Uttar Pradesh News: देशभर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और इनमें होने वाली मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अजय कुमार पांडे ने चिंता जताई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर सड़क सुरक्षा को लेकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

डॉ. पांडे ने अपने पत्र में हाल ही में हुई उस सड़क दुर्घटना का उल्लेख किया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे प्रभात सिंह की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि यह घटना दिखाती है कि सड़क दुर्घटनाएं किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकती हैं। चाहे आम नागरिक हो या किसी बड़े परिवार का सदस्य, सड़क सुरक्षा की कमी सभी के लिए खतरा बन चुकी है।

Uttar Pradesh News: जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अब केवल यातायात व्यवस्था की समस्या नहीं रह गई हैं। यह देश के नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि सड़कों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होंगे, तो लोगों का जीवन लगातार खतरे में बना रहेगा।

डॉ. पांडे ने मांग की है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर मौजूद दुर्घटना संभावित स्थानों, जिन्हें ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए। साथ ही जहां सड़क निर्माण या रखरखाव में लापरवाही पाई जाए, वहां जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

शिकायत करने वालों के उत्पीड़न का आरोप
उन्होंने यह भी कहा कि कई जगहों पर सड़क सुरक्षा की समस्याओं को उठाने वाले लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को परेशान किया जाता है। कई मामलों में उन पर दबाव बनाया जाता है या झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की अपील
डॉ. पांडे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में होने वाली मौतें और प्रशासनिक लापरवाही सीधे तौर पर मानवाधिकारों और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी राजनीतिक बहस का विषय नहीं है। यह हर नागरिक की जान बचाने का सवाल है। सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र या राजनीतिक दल से नहीं होती, इसलिए इस मुद्दे पर सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी
डॉ. पांडे ने कहा कि यदि तय समय के भीतर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे। इसके जरिए देशभर में सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, अधिकारियों की जवाबदेही और दुर्घटना पीड़ित परिवारों के अधिकारों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की जाएगी।

अंत में उन्होंने नागरिकों, सामाजिक संगठनों, वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे सुरक्षित सड़कों के लिए चलाए जा रहे जन-जागरूकता अभियान से जुड़ें और सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन का रूप दें।

Source: https://khabargaon.com/state/nhrc-orders-fir-against-former-station-officer-in-muzaffarpur-brutality-case/28954

रिश्वत नहीं देने पर जमकर पीटा था, अब मानवाधिकार ने दिया थानेदार पर केस का आदेश
राज्य संजय सिंह • MUZAFFARPUR 16 Jun 2026, (अपडेटेड 16 Jun 2026, 10:27 AM IST)

मुजफ्फरपुर के थाने में हुई पुलिसिया पिटाई और रिश्वतखोरी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन थानेदार पर 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाने में पुलिस ने एक युवक और उसके बहनोई को बहुत पीटा। अब यह मामला बहुत बड़ा हो गया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में दखल भी दिया है। आयोग ने कहा है कि उस समय जो थानेदार थे, राजबल्लभ प्रसाद, उनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर केस दर्ज होना चाहिए। आयोग की इस सख्ती से पुलिस महकमे में हलचल है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार के बड़े अफसरों को नोटिस भेजा है। आयोग ने पूछा है कि पीड़ित को एक लाख रुपये का मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए। आयोग इस बात से बहुत नाराज है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया था।

यह भी पढ़ें: देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था मौलाना, एक चैट ने खोल दिया राज, ATS ने पकड़ा

रिश्वत नहीं देने पर हुई पिटाई
यह मामला 11 मार्च 2025 का है। आरोप है कि उस समय के थानेदार राजबल्लभ प्रसाद ने अमन कुमार नाम के लड़के को बिना वजह पकड़ लिया था। जब अमन के बहनोई रौशन प्रताप सिंह उसे छुड़ाने थाने गए, तो पुलिस ने उनसे एक लाख रुपये रिश्वत मांगी। पैसे नहीं देने पर पुलिस ने रौशन को भी थाने में बंद कर दिया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने रौशन को बांधकर बहुत पीटा। बाद में 70 हजार रुपये लेकर उन्हें छोड़ा गया और उनकी गाड़ी भी पुलिस ने रख ली।

इस मारपीट में रौशन बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। परिवार ने वकील एस के झा की मदद से मानवाधिकार आयोग में शिकायत की। सब सबूत देखने के बाद आयोग ने अब पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें: पति ने जंजीर से बांधा फिर गरम लोहे से दागा, जान बचाकर भागी महिला

पुलिस में मची हड़कंप
आयोग के आदेश के बाद रविवार को पुलिस ने रौशन की मां को थाने बुलाया। उन्होंने थानेदार के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। अब सब यह देख रहे हैं कि पुलिस आगे क्या करती है। यह सिर्फ एक परिवार के न्याय की बात नहीं है, बल्कि यह कानून और पुलिस के काम करने के तरीके की बड़ी परीक्षा है।

Source: https://www.bhaskar.com/local/bihar/darbhanga/darbhangasadar/news/darbhanga-journalists-protest-false-cases-cm-dgp-memo-138210557.html

Hindi NewsLocalBiharDarbhangaDarbhangasadarDarbhanga Journalists Protest False Cases | CM, DGP Memo Announced

पत्रकारों पर झूठे मुकदमे, दरभंगा में आपात प्रेस वार्ता:मुख्यमंत्री, डीजीपी और मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन भेजने का ऐलान
रविंद्र कुमार पासवान | दरभंगा सदर, दरभंगा 12 घंटे पहले

दरभंगा में पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों पर दर्ज हो रहे झूठे मुकदमों और उत्पीड़न के विरोध में एक आपात प्रेस वार्ता आयोजित की गई। यह प्रेस वार्ता भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन और मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वावधान में शिव गार्डन रिसॉर्ट, मब्बी-शोभन रोड स्थित सभागार में हुई।

संगठनों ने हाल ही में केवटी प्रखंड के पत्रकार विजय कुमार गुप्ता पर दर्ज मुकदमे का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने गुप्ता को भोजन करते समय जबरन उठाया और अपराधियों जैसा व्यवहार किया, जिसे मानवाधिकार का घोर उल्लंघन बताया गया।

वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और समाजसेवी समाज, राष्ट्र और सरकार के कार्यों में सहयोग करते हैं। उन्हें प्रताड़ित करने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे निर्भीक होकर जनहित में कार्य कर सकें। ऐसी घटनाओं को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया गया।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी।

इस आपात प्रेस वार्ता में भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रदेश संयुक्त सचिव सुनील भारती, मानवाधिकार इमरजेंसी के प्रमंडल अध्यक्ष मनोहर कुमार, प्रमंडल प्रभारी डॉ. विजय सक्सेना, जिला अध्यक्ष उमाकांत यादव, सदस्य रामभरोस ठाकुर, पत्रकार राजेश प्रसाद उर्फ राजू सिंह, उदय कुमार, संजय कुमार और रोशन कुमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/agra-city-complainant-mentally-unstable-municipal-corporation-disposed-of-the-complaint-agra-nagar-nigam-40274846.html

आगरा नगर निगम की शर्मनाक करतूत, सफाई की शिकायत करने वाले नागरिक को बताया 'मानसिक विक्षिप्त'
By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Tue, 16 Jun 2026 12:15 PM (IST)

भीम नगर निवासी विशेष राठौर ने जलभराव और गंदगी की शिकायत की, जिस पर नगर निगम अधिकारियों ने उन्हें 'मानसिक विक्षिप्त' घोषित कर शिकायत बंद कर दी। इस अपमान के बाद राठौर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसने डीएम को चार सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

अली अब्बास, आगरा। क्षेत्र में फैली गंदगी और बदहाली की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर कराने वाले एक जागरूक नागरिक को नगर निगम के अधिकारियों ने कागजों में 'मानसिक विक्षिप्त' घोषित कर दिया। यही नहीं, अधिकारियों ने इसी शर्मनाक टिप्पणी के साथ शिकायत को पोर्टल पर निस्तारित भी कर दिया।

शिकायतकर्ता को इसका पता चला तो उसने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीएम को पूरे प्रकरण की जांच करा चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

विशेष राठौर ने क्षेत्र में जलभराव और गंदगी की जनसुनवाई पोर्टल पर की थी शिकायत
यह अजब-गजब और संवेदनहीन मामला जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के भीम नगर निवासी विशेष राठौर का है। कैटरिंग और हलवाई का काम करने वाले दसवीं पास विशेष राठौर क्षेत्र की समस्याओं को अक्सर उठाते रहते हैं।

विशेष ने बताया कि 31 मार्च 2035 को उन्होंने इलाके में व्याप्त गंदगी, नालियों के चोक होने और सड़क पर जलभराव से सफाई व्यवस्था चरमराने की शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई थी। उन्हें उम्मीद थी कि शासन के निर्देशों के अनुसार अधिकारी मौके पर आकर स्थिति का जायजा लेने के बाद सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे। मगर, नगर निगम के अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने की जगह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल खड़े कर दिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत
नगर निगम के तत्कालीन जांच अधिकारी राघवेंद्र यादव (जो कि सेनेटरी एवं फूड इंस्पेक्टर पद पर तैनात थे)नौ अप्रैल को मौके पर पहुंचे। उहोंने क्षेत्र में फैली गंदगी को साफ कराने की जगह अपनी आख्या तैयार कर दी।

इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिकायकर्ता 'कुछ मानसिक विक्षिप्त है' और इसी आधार पर शिकायत को निस्तारण के योग्य मान लिया। हद तो तब हो गई जब उच्च अधिकारी ने भी आंख बंद करके जांच इस पर भरोसा कर लिया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने सेनेटरी इंस्पेक्टर की इस अपमानजनक आख्या पर अपनी मुहर लगाते हुए पोर्टल पर शिकायत का अंतिम रूप से निस्तारण दिखा दिया।

डीएम को जांच करा चार सप्ताह में जवाब देने के आदेश
विशेष राठौर ने अपनी शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन चेक किया तो अधिकारियों की आख्या देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक स्वस्थ और जागरूक नागरिक को सरकारी रिकॉर्ड में मानसिक रूप से बीमार बता दिया गया था।

नके मौलिक अधिकारों का हनन किया
विशेष बताते हैं कि इस प्रशासनिक क्रूरता और अपमान से आहत होकर उन्होंने 20 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। आयोग को बताया कि किस तरह अधिकारियों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया।

मानवाधिकार आयोग ने इसे मानवाधिकारों और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के उल्लंघन का गंभीर मानते हुए 12 जून को डीएम को नोटिस जारी करके पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने कें निर्देश दिए हैं। जिसकी रिपोर्ट अगले चार सप्ताह में आयोग को समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

The Print, Online News, 17/06/2026

Source: https://hindi.theprint.in/india/nhrc-seeks-report-from-odisha-government-on-delay-in-womans-last-rites-due-to-social-boycott/986806/

एनएचआरसी ने सामाजिक बहिष्कार के कारण महिला के अंतिम संस्कार में देरी पर ओडिशा सरकार से मांगी रिपोर्ट
भाषा 16 June, 2026

भुवनेश्वर, 16 जून (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा सरकार को नोटिस जारी कर सुंदरगढ़ जिले में एक परिवार के कथित सामाजिक बहिष्कार की घटना पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि सामुदायिक सहयोग न मिलने से एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में देरी हुई थी।

मानवाधिकार संस्था ने उन खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया था कि महुलडीहा गांव की निवासी इस महिला ने 12 वर्षों तक सामाजिक बहिष्कार का दंश झेला और उसकी मृत्यु के बाद ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने में उसकी बेटी की मदद करने से इनकार कर दिया।

एनएचआरसी द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, जिला प्रशासन के हस्तक्षेप और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग के बाद ही अंततः महिला का अंतिम संस्कार किया जा सका।

आयोग ने कहा कि यदि ये आरोप सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की गंभीर चिंता पैदा करता है। आयोग ने मुख्य सचिव से दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने 11 जून को प्रकाशित खबरों का हवाला दिया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि महिला की बेटी के एक अन्य जाति के युवक के साथ घर छोड़कर चले जाने पर ग्रामीणों ने जुर्माना लगाया था जिसका भुगतान नहीं करने पर महिला के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।

आयोग ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि परिवार को कथित तौर पर एक दशक से अधिक समय तक सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ा और महिला की मृत्यु के बाद भी यह बहिष्कार जारी रहा, जिससे उसके अंतिम संस्कार में देरी हुई।

एनएचआरसी ने कहा कि वह ओडिशा सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले की जांच करेगा।

Source: https://www.livehindustan.com/bihar/raushan-anand-sir-trapped-in-fake-case-nhrc-sent-notice-to-patna-police-seek-answer-in-two-week-201781656992815.amp.html

Raushan Anand News: रौशन आनंद को झूठे केस में फंसा कर जेल में डाला, NHRC का पटना पुलिस को नोटिस; 2 हफ्ते में मांगा जवाब
Jun 17, 2026 07:58 am IST
Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना

Raushan Anand News: खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल के बाद रौशन आनंद सर को गिरफ्तार किए जाने का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार की चौखट तक जा पहुंचा है। रौशन आनंद की तरफ से गंभीर शिकायत मिलने के बाद NHRC ने पटना पुलिस को नोटिस भेज दिया है।

Raushan Anand News: पटना के मशहूर शिक्षक रौशन आनंद और फैजल खान उर्फ खान सर के बीच का विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार की भी एंट्री हो गई है। रौशन आनंद सर को हाल ही में जमानत मिली है और वो बेऊर जेल से बाहर आए हैं। लेकिन रौशन आनंद सर ने NHRC में अपनी गिरफ्तारी को लेकर शिकायत की है जिसके बाद आयोग ने पटना पुलिस को नोटिस थमा दिया है।

पटना स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के खिलाफ प्राथमिकी और उन्हें गिरफ्तार किये जाने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर की शिकायत पर आयोग ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

विशाल रंजन दफ्तुआर ने दस जून को आयोग को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि रौशन आनंद को दूसरे कोचिंग संस्थान के संचालक के कहने पर पुलिस ने मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया और एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया। दो जून को कदमकुआं थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उचित जांच और सीधे सबूतों के अभाव के बावजूद, पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप सहित कई दंडात्मक धाराएं लगाईं और केस दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर कोचिंग निदेशक को गिरफ्तार कर लिया।

खान सर पर लगे गंभीर आरोप
आपको बता दें कि जेल से निकले के बाद खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक फैसल खान उर्फ 'खान सर' पर उनके प्रतिद्वंद्वी शिक्षक रौशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की कथित हत्या करवाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। प्रिंस यादव की हाल ही में नेपाल के विराटनगर में मौत हो गई थी। जमानत पर छूटने के बाद रौशन आनंद ने कहा थाा कि पटना पुलिस ने खान सर की झूठी शिकायत के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया था। जब मैं जेल में था, तब मेरे भाई की हत्या करवा दी गई। मुझे प्रिंस के लिए न्याय चाहिए।

रौशन आनंद ने यह भी दावा किया था कि जेल के अंदर उनकी हत्या की साजिश भी रची गई। बता दें कि प्रिंस यादव 02 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर में हुए मारपीट, तोड़फोड़ और रोड़ेबाजी में आरोपी भी था। लेकिन नेपाल में अचानक उसकी मौत से सनसनी फैल गई है। हालांकि, खान सर ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई दी थी और प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताया था। खान सर ने प्रिंस की मौत की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की थी।

Source: https://journomirror.com/nhrc-takes-cognizance-of-attacks-on-kashmiri-students-and-shawl-sellers-across-the-country/

देशभर में कश्मीरी छात्रों और शॉल विक्रेताओं पर हमलों का NHRC ने लिया संज्ञान
June 16, 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने देश के विभिन्न राज्यों में कश्मीरी छात्रों और शॉल विक्रेताओं के खिलाफ कथित उत्पीड़न, भेदभाव और हमलों की शिकायतों का संज्ञान लिया है। जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) के अनुसार, आयोग ने मामले को औपचारिक रूप से दर्ज कर लिया है और संबंधित राज्यों से रिपोर्ट मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एसोसिएशन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को धमकियों, सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग, उत्पीड़न और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ा। यह शिकायत JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपी गई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को धमकाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें अपना व्यवसाय करने से रोका गया। कुछ मामलों में व्यापारियों को उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जहां वे वर्षों से रहकर काम कर रहे थे। वहीं छात्रों ने आवास से इनकार, सांप्रदायिक भेदभाव और डराने-धमकाने जैसी समस्याओं की शिकायत की है।

JKSA के अनुसार, NHRC ने शिकायत को स्वीकार करते हुए इसे केस नंबर 684/90/0/2026 के रूप में दर्ज किया है। आयोग अब संबंधित राज्य सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगेगा, जिसमें दर्ज एफआईआर, गिरफ्तारियां, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और कश्मीरी छात्रों व व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विवरण शामिल होगा।

एसोसिएशन ने आयोग की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि कश्मीरी भी देश के समान नागरिक हैं और उन्हें पूर्ण संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। संगठन ने कहा कि पहचान, क्षेत्र, धर्म या पहनावे के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ हिंसा, भेदभाव या सामाजिक बहिष्कार का लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं है।

JKSA का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में विभिन्न राज्यों से ऐसी कई घटनाओं की रिपोर्ट मिली हैं, जिनके कारण कुछ कश्मीरी व्यापारियों को अपना कारोबार छोड़कर जम्मू-कश्मीर लौटना पड़ा। संगठन ने उम्मीद जताई कि NHRC का हस्तक्षेप कश्मीरी नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और आजीविका से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

Jagran, Online News, 17/06/2026

Source: https://www.jagran.com/bihar/patna-city-nhrc-notices-patna-ssp-over-roshan-anand-human-rights-violation-40275613.html

रौशन आनंद की गिरफ्तारी पर मानवाधिकार आयोग सख्त, पटना SSP को नोटिस भेजकर मांगा जवाब
By Shubham Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Wed, 17 Jun 2026 04:52 AM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की गिरफ्तारी में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप पर पटना एसएसपी को नोटिस जारी किया है।

जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

आयोग ने माना कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्ट्या पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। यह कार्रवाई ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन और मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर द्वारा 10 जून को भेजे गए पत्र पर की गई है।

शिकायत के मुताबिक दो जून को कदमकुंआ थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने बिना पुख्ता सबूत और उचित जांच के आनन-फानन में रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था।

दफ्तुआर का आरोप है कि किडनी की बीमारी से पीड़ित आनंद को एकतरफा और मनमाने ढंग से फंसाया गया है। आयोग की खंडपीठ ने इस संवेदनशील मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है।

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ मानव अधिकार मंच का धरनाॉ
मानव अधिकार मंच, बिहार प्रदेश के बैनर तले भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व मंच के अध्यक्ष रामयतन यादव ने किया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर अपनी मांगों को बुलंद किया।

धरना रेलवे गुमटी के उत्तर स्थित सामुदायिक चबूतरे पर आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आज आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है। अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। रामयतन यादव ने खुसरूपुर थाना भवन के निर्माण, प्रखंड कार्यालय की मरम्मत और जल-जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की।

Source: https://www.bhaskar.com/local/bihar/nalanda/bihar-sharif/news/a-complaint-has-been-filed-with-the-nhrc-regarding-the-murder-of-two-youths-by-beating-dbp-138211304.html

Hindi NewsLocalBiharNalandaBihar sharifA Complaint Has Been Filed With The NHRC Regarding The Murder Of Two Youths By Beating.

पीट-पीटकर दो युवकों की हत्या के केस में एनएचआरसी में शिकायत दर्ज
बिहारशरीफ 3 घंटे पहले

राजगीर थाना इलाके में सोमवार की अल सुबह मॉब लिंचिंग हुई थी। झुनकिया बाबा मंदिर में चोरी के संदेह में भीड़ ने दो युवकों को पीट-पीटकर मार डाला था। सारे थाना क्षेत्र के बहादी बिगहा गांव निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में घटना की शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत में अधिवक्ता ने बताया है कि चोरी के संदेह में बेकाबू भीड़ ने दो युवकों को घेर लिया। भीड़ युवकों को पुलिस को सौंपने के बजाय कानून हाथ में लेते हुए उनकी पिटाई कर दी। पुलिस के दखल में बहुत देरी हुई, जिससे भीड़ को जानलेवा चोट पहुंचाने का मौका मिल गया। पिटाई से जख्मी युवकों की पटना में मौत हो गई। यह घटना जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है, साथ ही कानून द्वारा स्थापित न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी करती है।

अधिवक्ता ने आयोग से सम्मानपूर्वक अनुरोध किया है कि मानवाधिकार के उल्लंघन पर संज्ञान लिया जाए। बिहार के डीजीपी को नियत समय के अंदर जांच कर उसकी रिपोर्ट आयोग को दें। दोषियों पर एससी/एसटी की धाराओं के तहत मॉब लिंचिंग व हत्या का केस दर्ज हो। पुलिस प्रशासन की विफलता के लिए अनुशासनात्मक जांच का आदेश दिया जाए। राज्य सरकार को पीड़ित के परिजनों को तत्काल मुआवजा व पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने का निर्देश जारी किया जाए।

चोरी के महज संदेह में किसी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार भीड़ को नहीं है। कानून अपने हाथ में लेकर की गई मॉब लिंचिंग भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या, गैरकानूनी जमावड़ा और सामूहिक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आती है। मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज होने के बाद मामले में पुलिस की भूमिका, कार्रवाई में देरी तथा पीड़ितों के अधिकारों के संरक्षण की भी जांच का विषय बन सकता है।

Source: https://www.bhaskar.com/local/bihar/nalanda/news/rajgir-mob-lynching-nhrc-complaint-advocate-dalit-youth-murder-138210597.html

Hindi NewsLocalBiharNalandaRajgir Mob Lynching | NHRC Complaint Advocate Alleges Police Negligence

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा राजगीर मॉब लिंचिंग मामला:वकील ने दर्ज कराई शिकायत, स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप; निष्पक्ष जांच की मांग
नालंदा 2 घंटे पहले

नालंदा के राजगीर में दो अनुसूचित जाति के युवकों की भीड़ की ओर से पीट-पीटकर की गई हत्या (मॉब लिंचिंग) का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिल्ली दरबार पहुंच गया है। नालंदा के मूल निवासी और दिल्ली में कार्यरत अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने इस वीभत्स घटना और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों की कथित गंभीर लापरवाही को लेकर आयोग के समक्ष एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

मानवाधिकार आयोग ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए इसे डायरी संख्या आवंटित की है। यह शिकायत 16 जून को आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई है, जिसमें घटना की निष्पक्ष और त्वरित जांच की गुहार लगाई गई है।

15 जून की तड़के हुई थी पीट-पीटकर हत्या

वकील ब्रजेश सिंह द्वारा आयोग को सौंपे गए शिकायती पत्र और फाइल में दर्ज विवरण के अनुसार, यह पूरी घटना नालंदा जिले के राजगीर स्थित झुनकिया बाबा मंदिर परिसर के पास 15 जून को अहले सुबह घटित हुई थी। पीड़ित युवकों की पहचान गंजपर गांव निवासी पिंटू कुमार और श्रवण कुमार के रूप में की गई है, जो अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखते थे।

शिकायत में कहा गया है कि केवल चोरी के मामूली संदेह के आधार पर एक अनियंत्रित और उग्र भीड़ ने दोनों दलित युवकों को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ ने कानून को पूरी तरह अपने हाथ में लेते हुए न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया और दोनों युवकों को लाठियों तथा भारी व कुंद वस्तुओं से तब तक बर्बरतापूर्वक पीटा, जब तक वे लहूलुहान होकर मरणासन्न नहीं हो गए।

शिकायतकर्ता ने पुलिस की भूमिका पर भी उठाए सवाल

शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मानवाधिकार आयोग को दी गई जानकारी में आरोप लगाया गया है कि घटना के वक्त स्थानीय पुलिस कर्मियों का हस्तक्षेप अत्यधिक विलंबित था। पुलिस के समय पर न पहुंचने के कारण उग्र भीड़ को युवकों पर जानलेवा चोटें पहुंचाने का पूरा मौका मिल गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद दोनों पीड़ितों ने इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच अस्पताल में घावों के ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया।

वकील ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त 'जीवन के मौलिक अधिकार' का घोर उल्लंघन बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉब वायलेंस और लिंचिंग की रोकथाम के लिए जारी किए गए कड़े दिशानिर्देशों तथा खुफिया तंत्र को तैनात करने में पूरी तरह विफल रहा है।

‘आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत संज्ञान ले’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायतकर्ता ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। याचिका में सम्मानपूर्वक प्रार्थना की गई है कि आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत इस जघन्य मामले का तत्काल संज्ञान ले। इसके साथ ही बिहार के पुलिस महानिदेशक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इस मामले पर तत्काल तथ्यात्मक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाए। शिकायत में मांग की गई है कि अपराधियों के खिलाफ हत्या, मॉब लिंचिंग और एससी/एसटी अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए मुकदमा चलाया जाए। इसके

अलावा, अराजकता को रोकने में नाकाम रहे स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक स्वतंत्र अनुशासनात्मक जांच शुरू करने और बिहार सरकार को मृतकों के आश्रितों को तत्काल वित्तीय मुआवजा तथा पुनर्वास सहायता प्रदान करने का आदेश देने का भी अनुरोध किया गया है।

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
16.06.2026	Kashish News	14:00	Raushan Anand Brother Death: NHRC ने Patna SSP को भेजा नोटिस,Khan Sir भी अब फसेंगे?|	03:28 Min	Breaking News	Akhil	
16.06.2026	OTV	16:00	Odisha : NHRC Seeks Report in Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha Case from Kendrapara Officials	03:42 Min	Breaking News	Nikhil	
16.06.2026	First Bihar	19:00	Khan Sir ने Raushan Anand को फंसाया? अब NHRC ने बढ़ा दी मुश्किलें	05:06 Min	Exclusive	Anisha	
16.06.2026	OTV	11:12	NHRC Seeks Report in Chameli Ojha Case, Orders Probe Within 15 Days -The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report in connection with the case involving Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha. The Commission has directed the Kendrapara Collector and Superintendent of Police to conduct a proper investigation into the matter and submit a detailed report within 15 days. NHRC has also asked the district authorities to file an Action Taken Report within two weeks. The directive marks a significant development in the case, bringing it under the scrutiny of the national human rights body.	01:20 Min	Breaking News	Abc	
16.06.2026	Kalinga TV	18:00	NHRC Seeks Report from Kendrapara Officials in Chameli Ojha Case	09:09 Min	Breaking News	Abc	

16.06.2026	News 18 Odia	12:30	NHRC Seeks Report in Chameli Ojha Case: Sarpanch attack Odisha The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed report regarding the incident involving Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha in Kendrapara district. The Commission has directed the District Collector and Superintendent of Police to conduct a thorough investigation and submit a report within 15 days. Additionally, authorities have been asked to provide an Action Taken Report within two weeks. The incident reportedly occurred on the 11th in Mahakalapada block. Currently, Chameli Ojha is undergoing treatment at Kendrapara hospital. The intervention by NHRC has intensified focus on accountability and proper investigation into the alleged incident.	09:58 Min	Breaking News	Abc	
16.06.2026	Prameya News7	13:46	NHRC Takes Major Action in Chameli Case; Demands Report from District Collector and SP - The NHRC has initiated steps to ensure accountability in the recent case. • Local officials, including the District Collector and SP, are required to submit detailed action reports.	02:54 Min	Breaking News	Nishant	

16.06.2026	News18 Odia	18:30	Chameli Ojha Update | Sarapancha The controversial and widely discussed case involving Sarpanch Chameli Ojha has now reached the National Human Rights Commission (NHRC). The Commission has sought detailed reports from the Kendrapara District Collector and Superintendent of Police regarding the incident. NHRC has directed authorities to conduct a proper investigation and submit a report within 15 days. Meanwhile, a video related to the June 11 incident at the Mahakalapada BDO office has surfaced, adding a new dimension to the case. At the same time, Chameli Ojha's lawyer has filed a bail application. Chameli is currently undergoing treatment at the Kendrapara District Headquarters Hospital, where doctors have stated that her condition has not yet fully stabilized. The developments have intensified public and political attention on the case, with many awaiting the outcome of the investigation and the NHRC's findings.	04:33 Min	Breaking News	Abc	
16.06.2026	Kalinga TV	17:00	Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha Granted Conditional Bail Amid NHRC Scrutiny	04:07 Min	Breaking News	Abc	

16.06.2026	Kanak News	13:30	A major development has emerged in the attack case involving Malkangiri journalist Santosh Sethi. The National Human Rights Commission (NHRC) has taken serious cognizance of the incident, bringing the case into the national spotlight. The attack on the journalist had triggered widespread concern among media organizations and civil society groups. With NHRC now intervening, pressure is mounting on the authorities to ensure a fair investigation and take strict action against those responsible. The case has reignited discussions about journalist safety, freedom of the press, and human rights protections in Odisha. All eyes are now on the administration's next move following NHRC's intervention.	02:33 Min	Breaking News	Abc	

16.06.2026	News18 Odia	13:00	Chameli Ojha Update :The controversial and widely discussed case involving Sarpanch Chameli Ojha has now reached the National Human Rights Commission (NHRC). The Commission has sought detailed reports from the Kendrapara District Collector and Superintendent of Police regarding the incident. NHRC has directed authorities to conduct a proper investigation and submit a report within 15 days. Meanwhile, a video related to the June 11 incident at the Mahakalapada BDO office has surfaced, adding a new dimension to the case. At the same time, Chameli Ojha's lawyer has filed a bail application. Chameli is currently undergoing treatment at the Kendrapara District Headquarters Hospital, where doctors have stated that her condition has not yet fully stabilized. The developments have intensified public and political attention on the case, with many awaiting the outcome of the investigation and the NHRC's findings.	04:12 Min	Breaking News	Abc	

16.06.2026	Kanak News	18:00	Fake Accused Claim & Custody Allegation Shake Kendrapara -A major controversy has erupted in Kendrapara district of Odisha, raising serious questions about law enforcement and administrative transparency. The issue revolves around Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha, who was allegedly detained and faced custodial mistreatment after raising her voice for villagers. The incident has now escalated politically and socially, with locals strongly criticizing the administration. Reports claim that attempts were made to suppress the matter, including allegations of presenting fake accused individuals. The case has now reached the National Human Rights Commission (NHRC), increasing pressure on authorities. Demand for a fair investigation and higher-level intervention, including from the Chief Minister's office, is growing as public outrage intensifies in the region.	03:00 Min	Breaking News	A	

16.06.2026	NewsX Live	14:00	British Kashmiris Protest Outside UK Parliament Over PoJK Human Rights Concerns -Hundreds of British Kashmiris gathered outside the UK Parliament in London to protest alleged human rights violations in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Demonstrators called for justice, accountability, and an independent international investigation, urging the United Nations and human rights organizations to examine the situation closely.	02:02 Min	Breaking News	Shalini	
16.06.2026	CNN-News18	16:00	₹370 Biryani Remark Row: Haryana Police Register FIR After NCW Direction -The controversy surrounding the viral "₹370 Biryani" remark has escalated, with Haryana Police registering an FIR following directions from the National Commission for Women (NCW). The FIR has reportedly been filed against Pranit More and Himanshu Jangra in connection with the case. The matter gained widespread attention on social media, prompting calls for action and scrutiny from various quarters. With the investigation now underway, authorities are expected to examine the circumstances surrounding the remarks and any potential violations under applicable laws.	02:28 Min	Breaking News	Anuya	

16.06.2026	TV9 Bihar Jharkhand	14:00	Nalanda Mob Lynching: चोरी के शक में 2 युवकों की पीट-पीटकर हत्या | Rajgir में भीड़ बनी जल्लाद -नालंदा में रविवार रात चोरी के आरोप में दो युवकों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान दीपनगर के पिंटू पासवान(24) और श्रवण पासवान(18) के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि राजगीर में मलमास मेले के दौरान देर रात श्रद्धालुओं का पंगत चल रहा था। इसी दौरान दोनों युवक वहां पहुंचे। लोगों ने दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया और आधे घंटे तक जमकर पिटाई की। इसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।	03:15 Min	Breaking News	Abc	
16.06.2026	News18 India	17:00	Delhi Murder Case :दिल्ली में दिनदहाड़े हत्या के पीछे कौन? भाई ने बताया खौफनाक सच -दयालपुर थाना क्षेत्र नेहरू विहार गली नंबर 2 में कल शाम तकरीबन 5:30 बजे स्कूटी पर सवार तीन युवकों ने राशिद की गोली मारकर हत्या कर दी.. मृतक रशीद के भाई शाहनवाज ने बताया कि 6 महीने पहले भी उनके भाई को हारून पहलवान ने धमकी दी थी यहां तक की पर्चे फेके गए थे और हवाई फायरिंग की गई थी और कहां गया था कि नसीम दुर्रानी के साथ बातचीत बंद कर दो वरना अंजाम बुरा होगा.. मृतक के भाई शाहनवाज ने बताया कि उनके भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी या विवाद नहीं था	07:45 Min	Breaking News	Abc	